मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–जगेन्द्र कुमार अग्रवाल
आर.जे.एस.

मोटर वाहन दुर्घटना दावा संख्या–55/2024

श्रीमती मायरा पत्नी श्री राजूजी, आयु–43 वर्ष, निवासी–म.नं.–180, झलकारी नगर, लौहार बस्ती, सेंट पॉल स्कूल के पीछे ,जिला अजमेर (राज.)

.......प्रार्थीया

बनाम

1. कबीर चरनाल पुत्र श्री सुनील चरनाल, निवासी–म.नं.–106, वाल्मिकी बस्ती, शिव मंदिर के पास, पलटन बाजार, पुलिस थाना सिविल लाईन,अजमेर (राज.) (**चालक** मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–वी.एस.–5557)

2. दौलत नारायण पुत्र श्री मुकुंद लाल, निवासी–मदन टेरेसा स्कूल के पास, खाजपुरा, हटूण्डी, पुलिस थाना आदर्शनगर, अजमेर (राज.)(**रजि.** स्वामी वाहन)

3. आई.सी.आई.सी.आई.लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिए मण्डल प्रबंधक, मण्डल कार्यालय अमरदीप टॉवर, जयपुर रोड, अजमेर (राज.).

.... अप्रार्थीगण

याचिका अंतर्गत धारा– 166 मोटर यान अधिनियम 1988

उपस्थितः–

अधिवक्ता प्रार्थी –श्री शोईबुद्दीन खान
अप्रार्थी क्रम–1 व 2–एक तरफा कार्यवाही
अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–3–श्री नरेन्द्र सिंह राठौड

निर्णय **दिनांक –17.08.2026**

1. प्रार्थीया श्रीमती मायरा ने उक्त प्रार्थना पत्र इस अधिकरण में दिनांक 12.01.2024 को पेश किया जो नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

याचिका के तथ्य

2 संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार बताए गए है कि दिनांक 04.09.2023 को प्रार्थीया श्रीमती मायरा पैदल–पैदल हॉस्पीटल से अपने घर जा रही थी जब वह दोपहर 2.15 बजे श्रीनाथ फ्लोर एण्ड फिनिशिंग की दुकान के सामने पहुंची तभी अप्रार्थी क्रम–01 ने राजकीय महाविद्यालय,

अजमेर की तरफ से मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–वी.एस.–5557 को तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए प्रार्थीया को जोरदार टक्कर मारी जिससे प्रार्थीया गम्भीर रूप से चोटग्रस्त हो गई व उसके स्थाई निर्योग्यता कारित हुई। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना क्लॉक टॉवर, जिला अजमेर में देकर मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें बाद अनुसंधान अप्रार्थी चालक के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीया की जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी उसका चालक अप्रार्थी क्रम–01, रजि. स्वामी अप्रार्थी क्रम–02 है और उक्त वाहन बरवक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के पास बीमित था। प्रार्थीया दुर्घटना के समय–43 वर्षीया स्वस्थ कदकाठी की महिला थी जो संत फ्रांसिस अस्पताल, ब्यावर रोड,अजमेर में कुक के कार्य से 15,000/–रूपये मासिक आय अर्जित करती थी, जिसने इस दुर्घटना में आई चोटों से हुई क्षतिपूर्ति हेतु सभी मदों में मिलाकर याचिका में वर्णितानुसार कुल–65,02,000/–रूपये की राशि 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी क्रम–1 वाहन चालक व अप्रार्थी क्रम–02 वाहन स्वामी का जवाबः–

3. अप्रार्थी क्रम–1 व 2 क्रमशः वाहन चालक व स्वामी ने संयुक्त जवाब पेश कर अभिकथन किए है कि राशि बढा चढा कर मांगी गई है। उनका यह भी कथन है कि याचिका के तथ्य गलत है और कथित तिथि,समय व स्थान पर दुर्घटना होना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है जिन्हें प्रार्थीया को सक्षम साक्ष्य से सिद्ध करना चाहिए। उनका कथन है कि उनके वाहन से दिनांक 04.09.2023 को किसी प्रकार की कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है न ही वाहन दुर्घटना में लिप्त रहा है। प्रार्थीया स्वच्छ हाथों से अधिकरण के समक्ष नहीं आई है क्योंकि प्रार्थीया कहीं और चोटग्रस्त हुई थी तथा केवल मात्र क्लेम राशि पाने के आशय से प्रार्थीया ने पुलिस से मिलीभगत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक दिन विलम्ब से मिथ्या मुकदमा दर्ज कराते हुए झूंठा आरोप पत्र पेश करवाया है। उनका कथन है कि यदि अधिकरण किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है तथा प्रार्थीया को क्षतिपूर्ति राशि दिलाएं जाने का आदेश प्रदान करता है तो उनका वाहन वक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के पास बीमित होने से क्षतिपूर्ति अदा करने की जिम्मेदारी अप्रार्थी क्रम्–03 बीमा कंपनी पर है और अंत में याचिका खारिज करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी का जवाबः–

4. अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी ने जवाब पेश कर अभिकथन किए है कि राशि बढा चढा कर मांगी गई है। बीमा कंपनी का यह भी कथन है कि याचिका के तथ्य गलत है और कथित तिथि,समय व स्थान पर दुर्घटना होना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है जिन्हें प्रार्थीया को सक्षम

"Authenticated Document"

साक्ष्य से सिद्ध करना चाहिए। उनका कहना है कि दुर्घटना में लिप्त मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–वी.एस.–5557 वक्त दुर्घटना उनके यहां बीमित थी। परन्तु कथित दुर्घटना दिनांक 04.09.2023 को घटित होना बताई गई है जबकि प्रार्थीया ने पुलिस, व अप्रार्थीगण 1 एवं 2 से मिलीभगत करके क्षतिपूर्ति राशि पाने के आशय से कथित दुर्धटना में उक्त वाहन को झूंठा संलिप्त करते हुए दुर्धटना की रिपोर्ट दिनांक 05.09.2023 को दर्ज कराई है। रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। कथित दुर्घटना प्रार्थीया स्वयं द्वारा अचानक रोड़ के मध्य आ जाने से घटित हुई है जिससे प्रार्थीया ,अप्रार्थी बीमा कंपनी से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। उनका यह भी कथन है कि ओरियेंटल इं.कं.लिमि. बनाम चम्पाबाती रॉय व अन्य 2020 (6) गुहाटी लॉ रिपोर्टस 521 (एम.ए.सी.ए.पी.पी.नं 378/2017) निर्णय दिनांक 01.10.2029 के अनुसार प्रार्थीया को भावी प्रत्याशा पर ब्याज की राशि नहीं दिलाई जा सकती व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान ब्याज दर जो फैसले के दिन प्रभावी होगी उसी दर से ब्याज दिलाया जाना चाहिए। विकल्प में कथन किया है कि किसी कारणवश अनुपातिक रूप से किसी अंश तक अंशदायी उपेक्षा के लिए अप्रार्थी बीमा कंपनी को जिम्मेदार माना जाएं या अन्य किसी प्रकार से माना जाएं तो ब्याज अधिनियम 1978 की धारा–3 बैंक प्रचलित दर 5 प्रतिशत वार्षिक न्रिणय से अनाधिक ब्याज नहीं दिलाया जाएं। उनका यह भी कथन है कि बरवक्त दुर्घटना अप्रार्थी चालक के पास वाहन को चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग नहीं था। अतः उनके विरूद्ध याचिका खारिज होने योग्य है इत्यादि।

विवाद्यक

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गयेः–

1. क्या दिनांक 04.09.2023 को दोपहर 2.15 बजे पुलिस थाना क्लॉक टॉवर, जिला अजमेर के क्षेत्राधिकार में श्रीनाथ फ्लोर एण्ड फिनिशिंग की दुकान के सामने आम सडक पर अप्रार्थी क्रम–1 ने अप्रार्थी क्रम–02 की मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–वी.एस.–5557 को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर प्रार्थीया को पैदल चलती हुई को टक्कर मारी जिससे उसके साधारण व गम्भीर चोटें कारित हुई ? ...प्रार्थीया

2. क्या अप्रार्थी क्रम–01 बरवक्त दुर्घटना वाहन को अप्रार्थी क्रम–02 वाहन मालिक के नियोजन व हितार्थ चला रहा था ? ...प्रार्थीया

3. क्या अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी की जवाब याचिका की प्रारंभिक आपत्ति व अतिरिक्त कथन में वर्णित कारणों एवं बरवक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–1 के पास वाहन को चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस नहीं होने से अप्रार्थी बीमा कंपनी की शर्तो का उल्लंघन होने से वे क्षतिपूर्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं है ? ..अप्रार्थी बीमा कंपनी

4. अनुतोष

6. प्रार्थीया की ओर से साक्ष्य में ए.ड.–1 श्रीमती मायरा के बयान लेखबद्ध कराए गए है। इस स्टेज पर अप्रार्थीगण 1 व 2 के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी की ओर से साक्ष्य में गवाह अशोक शर्मा एन.ए.3 डब्लू.1 के बयान लेखबद्ध कराएं गए है।

7. बहस अंतिम दोनों पक्षों की सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया के तर्क रहे है कि दिनांक 04.09.2023 को प्रार्थीया श्रीमती मायरा पैदल–पैदल हॉस्पीटल से अपने घर जा रही थी जब वह दोपहर 2.15 बजे श्रीनाथ फ्लोर एण्ड फिनिशिंग की दुकान के सामने पहुंची तभी अप्रार्थी क्रम–01 ने राजकीय महाविद्यालय, अजमेर की तरफ से मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–वी.एस.–5557 को तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए प्रार्थीया को जोरदार टक्कर मारी जिससे प्रार्थीया के दांए पैर, दांए हाथ व शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटें आई व पैर की चोट के कारण 31 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता कारित हुई है जिससे प्रार्थीया चलने–फिरने में असमर्थ हो गई है एवं उसे अटेण्डेंट की आवश्यकता है। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना क्लॉक टॉवर, अजमेर पर अगले दिन प्रस्तुत की गई जिसमें अप्रार्थी क्रम–01 को दोषी पाते हुए उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया दुर्घटना के समय 43 वर्ष की थी जो कुक के कार्य से 15,000/–रूपये मासिक कमाती थी। परन्तु दुर्घटना में आई चोटों के कारण वह स्थाई रूप से अयोग्य हो गई हैं। इसलिए भविष्य की आय की भी क्षति हुई है। प्रार्थीया को अस्पताल में भर्ती किया गया था जिसके डिस्चार्ज टिकिट में भी दुर्घटना बाबत अंकन किया गया है उसका आपरेशन भी हुआ है। अप्रार्थी बीमा कंपनी के द्वारा अप्रार्थी क्रम–01 के पास दुर्धटना के समय ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के संबंध में आपत्ति ली गई है। परन्तु अप्रार्थी क्रम –1 के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र में लाइसेंस नहीं होने के संबंध में कोई अपराध अनुसंधान से साबित नहीं दर्शाया है। अप्रार्थी बीमा कंपनी ने अप्रार्थीगण 1 व 2 को ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने बाबत नोटिस दिए जाना बताया है परन्तु उसे नोटिस प्राप्त हुआ या नहीं यह साबित नहीं किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत 1 (2004) सी.एल.टी. 1 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम स्वर्ण सिंह में ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव में भी बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु उत्तरदायी

"Authenticated Document"

माना है जिसे वह वाहन स्वामी से वसूल कर सकती है जो निर्णय अभी भी प्रभावी है। उसके पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अप्रार्थी बीमा कंपनी को उत्तरदायित्व से मुक्त किए जाने बाबत कोई भी न्यायिक दृष्टांत अंतिम रूप से निर्णीत नहीं किया है। अप्रार्थी क्रम–02 की मोटर साइकिल वक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के यहां बीमित थी। इसलिए क्लेम याचिका में अंकित क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज अप्रार्थीगण से दिलाई जाने की कृपा करे। अपने तर्को के समर्थन में उनकी ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृटांत प्रस्तुत किया गया हैः'–

1. **1 (2004) सी.एल.टी. 1 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम स्वर्ण सिंह**

8. अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिए है कि घटना की रिपोर्ट एक दिन विलम्ब से दर्ज कराई गई है। अप्रार्थी क्रम–01 के द्वारा कथित मोटर साइकिल से कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई है। केवल अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के यहां उक्त मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–वी.एस.–5557 बीमित होने के कारण प्रार्थीया ने मिलीभगत करके उससे दुर्घटना होना दर्शाया है। प्रार्थीया अपनी स्वयं की गलती व लापरवाही के कारण चोटग्रस्त हुई है। प्रार्थी का कुक का कार्य करना व उक्त कार्य से 15000/–रूपये मासिक कमाना भी साबित नहीं हुआ है इसलिए भविष्य की कोई आय की क्षति भी होना नहीं मानी जा सकती। पैर का यह स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से प्रार्थीया को स्थाई रूप से कार्य करने में अक्षम नहीं माना जा सकता। प्रार्थीया स्वयं अधिकरण में बयान देने हेतु भी चल कर उपस्थित हुई है। अप्रार्थी क्रम–01 के पास दुर्घटना के समय वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था जिसके संबंध में उसे अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा नोटिस भी दिया गया था परन्तु लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए अप्रार्थी बीमा कंपनी की बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन होने से उनका क्षतिपूर्ति हेतु कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। पे एण्ड रिकवर बाबत प्रावधान भी इस मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि दुर्घटना के समय मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत धारा–149 एम.वी.एक्ट के प्रावधान को समाप्त किया गया है तथा धारा–150 एम.वी.एक्ट के प्रावधान लागू किए गए उसमें पे एण्ड रिकवर बाबत कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत एस.एल.पी. (C) नंबर–8269/2025 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जन.इ.कं.लिमि. बनाम आरती देवी व अन्य में पे एण्ड रिकवर के अधिकरण के आदेश पर स्टे दिया गया है। इसलिए अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के विरूद्ध क्लेम याचिका खारिज की जाएं। अपने तर्को के समर्थन में उनकी ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया हैः–

1. **एस.एल.पी. (C) नंबर–8269/2025 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जन.इ.कं.लिमि. बनाम आरती देवी व अन्य**

''Authenticated Document"

9. दोनों पक्षों को सुना गया एवं प्रस्तुत सम्मानीय न्यायिक दृष्टांतों व पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। इस संबंध में प्रत्येक तनकी पर मेरा न्यायिक विनिश्चय निम्न प्रकार हैः–

तनकी संख्या–1

10. यह तनकी जिसको साबित करने का भार प्रार्थीया पर है, जिसके संबंध में ए.ड.–01 प्रार्थीया श्रीमती मायरा ने अपने बयानों में दिनांक 04.09.2023 को समय दोपहर 2.15 बजे उसका संत फ्रांसिस अस्पताल के सामने पैदल–पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ साइड में जाते समय श्रीनाथ फ्लोर एण्ड फिनिशिंग की दुकान के सामने पहुंचने पर मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–वी.एस.–5557 को उसके चालक द्वारा राजकीय महाविद्यालय,अजमेर की तरफ से अचानक तेजगति, व लापरवाही से चलाकर उसके जोरदार टक्कर मारने से उसके दांए पैर की जांघ, दांए पैर की घुटने, दांए हाथ, सिर पर चोटें आना व दांए पैर की टीबिया फेबूला बोन, दांए पैर के पंजे में फ्रेक्चर होना बताया है। उसे दुर्घटना स्थल से जे.एल.एन.अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया था। इस बाबत पुलिस थाना क्लॉक टॉवर,अजमेर में उसके मामा माईकल राबर्ट ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–0171/2025 दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने जांच कर अप्रार्थी क्रम–01 को उक्त दुर्घटना के लिए दोषी पाते हुए चालान पेश किया है। इस बाबत प्रदर्श–1,प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श–2 चार्जशीट, प्रदर्श–3 नक्शा मौका, प्रदर्श–4 नोटिस धारा–133 एम.वी.एक्ट, प्रदर्श–5 नोटिस धारा–134 एम.वी.एक्ट, प्रदर्श–6 चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श–7 आपरेशन नोट जे.एल.एन., प्रदर्श–8 एक्सरे रिपोर्ट, प्रदर्श–9 आर.सी., प्रदर्श–10 बीमा पॉलिसी, प्रदर्श–11 फर्द जप्ती, प्रदर्श–12 एम.आई.रिपोर्ट, प्रदर्श–13 तहरीरी रिपोर्ट है। जिरह में कहती है कि यह सही है कि कथित दुर्घटना दिनांक को कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। यह भी सही है कि उसके द्वारा पत्रावली पर वाहन चालक कबीर का कोई भी लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि वह मोटर साइकिल पर बैठकर जा रही हो।

11. इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उसने दिनांक 04.09.2023 को दोपहर 2.15 बजे उसका संत फ्रांसिस अस्पताल के सामने पैदल चलते हुए अपने घर जाते समय श्रीनाथ फ्लोर फिनिशिंग की दुकान के सामने पहुंचने पर मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–वी.एस.–5557 को उसके चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाकर उसके टक्कर मारने से उसके गम्भीर चोटें आना बताया है। इस संबंध में घटना की रिपोर्ट प्रदर्श–13 अगले दिन दर्ज कराई गई है जिसके संबंध में अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने रिपोर्ट दुर्घटना दिवस को दर्ज नहीं होने बाबत तर्क दिए है तथा दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–01 की मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–वी.एस.–5557 से कारित होने से इन्कार किया है।

''Authenticated Document"

12. उक्त तर्को के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से घटना दिनांक 04.09.2023 की दोपहर 2.15 बजे होने के पश्चात प्रार्थीया का जे.एल.एन.अस्पताल,अजमेर भर्ती होने के कारण उसके रिश्तेदार द्वारा अगले दिन रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है जो युक्तियुक्त समय में दर्ज करवा दी गई है। घटना की रिपोर्ट प्रदर्श–13 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि दुर्घटना कारित करने वाली मोटर साइकिल के नंबर रिपोर्ट में अंकित है जिसमें अप्रार्थी क्रम–01 को दोषी पाते हुए उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श–02 प्रस्तुत किया गया है। अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श–03 बनाया गया है उसमें भी प्रार्थीया को श्रीनाथ फ्लोर फिनिशिंग की दुकान के सामने अपनी सही दिशा में पैदल गुजरते समय मोटर साइकिल चालक द्वारा टक्कर मारना दर्शाया गया है। अप्रार्थी क्रम–02 वाहन स्वामी को धारा–133 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श–04 दिए जाने पर उसने वक्त दुर्घटना उसके वाहन को उसके दोहिते कबीर अप्रार्थी क्रम–01 द्वारा वाहन चलाएं जाना बताया है। अप्रार्थी क्रम–01 को भी धारा–134 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श–05 दिया गया है जिसके जवाब में उसने वक्त दुर्घटना स्वयं के द्वारा मोटर साइकिल को चलाएं जाना स्वीकार किया है। फर्द जप्ती मोटर साइकिल प्रदर्श–11 व मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श–12 में मोटर साइकिल पर ताजा खरोंच पाई गई है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–06 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श–08 से प्रार्थीया के शरीर पर साधारण व गम्भीर चोटें आना साबित होती है। अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर के दौरान कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की ओर से उपरोक्त अनुसंधान की कार्यवाही व साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है।

13. अतः प्रार्थीया की मौखिक साक्ष्य व अनुसंधान की समस्त कार्यवाही के दस्तावेजों से यह साबित है कि दिनांक 04.09.2023 को दोपहर 2.15 बजे पुलिस थाना क्लॉक टॉवर, जिला अजमेर के क्षेत्राधिकार में श्रीनाथ फ्लोर एण्ड फिनिशिंग की दुकान के सामने आम सडक पर अप्रार्थी क्रम–1 ने अप्रार्थी क्रम–02 की मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–वी.एस.–5557 को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर प्रार्थीया को पैदल चलती हुई को टक्कर मारी जिससे उसके साधारण व गम्भीर चोटें कारित हुई अतः इस तनकी का विनिश्चय प्रार्थीया के पक्ष में किया जाता है।

<u>तनकी संख्या–2</u>

14. यह तनकी जिसको साबित करने का भार प्रार्थीया पर है, जिसके संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–वी.एस.–5557 के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श–09, बीमा प्रमाण पत्र प्रदर्श–10 के अनुसार उक्त वाहन का अप्रार्थी क्रम–2 रजिस्टर्ड स्वामी व बीमाधारी है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा जारी नोटिस धारा–133 एम.वी.एक्ट व धारा–134 एम.वी.एक्ट के नोटिसों क्रमशः प्रदर्श–04 व 05 के जवाबों में अप्रार्थी क्रम–1 का वरवक्त दुर्घटना वाहन चालक

होना प्रमाणित है। उक्त वाहन की बीमा पॉलिसी प्रदर्श–10 के अनुसार कथित दुर्घटना कारित मोटर साइकिल दिनांक 16.07.2021 से 16.07.2026 तक की अवधि के लिए अर्थात दुर्घटना की तिथि 04.09.2023 को वाहन अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के पास बीमित होना प्रमाणित स्थिति हैं जिसे अप्रार्थी बीमा कंपनी ने अपने जवाब में भी स्वीकार किया है। नोटिस धारा–133 एम.वी.एक्ट प्रदर्श–04 के अनुसार अप्रार्थी क्रम–01 अप्रार्थी क्रम–02 का दोहिता है। ऐसे में दोनों के मध्य मालिक–सेवक का संबंध नहीं है। इसलिए नियोजन की स्थिति नहीं पाई जाती है। अतः इस तनकी का विनिश्चय उक्त प्रकार से किया जाता है।

तनकी संख्या– 3

15. यह तनकी जिसको साबित करने का भार अप्रार्थी क्रम-03 बीमा कंपनी पर है। जिसके संबंध में अप्रार्थी क्रम-03 बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क रहे है कि अप्रार्थी क्रम–01 के पास दुर्घटना के समय वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था जिसके संबंध में उसे अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा नोटिस भी दिया गया था परन्तु अप्रार्थी क्रम–01 का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए अप्रार्थी बीमा कंपनी की बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन होने से उनका क्षतिपूर्ति हेतु कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। उनका यह भी तर्क रहा है कि पे एण्ड रिकवर बाबत प्रावधान भी इस मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि दुर्घटना के समय मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत धारा–149 एम.वी.एक्ट के प्रावधान को समाप्त किया गया है तथा धारा–150 एम.वी.एक्ट के प्रावधान लागू किए गए उसमें पे एण्ड रिकवर बाबत कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत एस.एल.पी. (C) नंबर–8269/2025 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जन.इ.कं.लिमि. बनाम आरती देवी व अन्य में पे एण्ड रिकवर के अधिकरण के आदेश पर स्टे दिया गया है। इसलिए अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के विरूद्ध क्लेम याचिका खारिज की जाएं।

16. इसके विपरीत प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अप्रार्थी चालक के पास यदि बरवक्त दुर्घटना वाहन को चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी अप्रार्थी बीमा कंपनी अपने तृतीय पक्षकार की क्षतिपूर्ति के दायित्व से बच नहीं सकती है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत 1 (2004) सी.एल.टी. 1 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम स्वर्ण सिंह प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया है कि अप्रार्थी बीमा कंपनी प्रथमतः प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिए जिम्मेदार है तदुपरांत वह उक्त राशि की वसूली वाहन चालक और मालिक से कर सकती है।

17. दोनों के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली व सम्मानीय न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। जहां तक हस्तगत प्रकरण की स्थिति है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी द्वारा अप्रार्थी क्रम–01 के पास मोटर साइकिल चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग नहीं होने के संबंध में मुख्य रूप से साक्षी एन.ए.3 डब्लू.1 अशोक शर्मा विधि अधिकारी को परीक्षित कराया गया है जिसने बयान दिए है कि पॉलिसी प्रदर्श–10 दिनांक 17.07.2021 से 16.07.2026 तक दौलतनारायण के पक्ष में बीमा शर्तो के अधीन जारी की गई थी जिसमें ए से बी भाग में पॉलिसी की शर्त अनुसार चालक के पास वैध व प्रभावी लाइसेंस होना आवश्यक है। उनकी बीमा कंपनी द्वारा वाहन मालिक को लाइसेंस बाबत नोटिस प्रदर्श–एन.ए.3/1 दिया गया है जिसकी डाक रसीद प्रदर्श–एन.ए.3/2 है। इस प्रकरण में वक्त दुर्धटना बीमित वाहन चालक के पास वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने से उनकी बीमा कंपनी क्लेम अदायगी हेतु उत्तरदायी नहीं है।

18. कथित दुर्घटना में संलिप्त मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–वी.0 एस.5557 के चालक के पास उक्त वाहन को चलाने का वक्त दुर्घटना वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। है। इस प्रकरण में अप्रार्थी क्रम–01 चालक व 02 वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई है एवं जवाब भी पेश किया गया है परन्तु साक्ष्य प्रार्थी के प्रक्रम में उनके उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हुई है। अप्रार्थी क्रम–02 वाहन स्वामी जिसका कि अप्रार्थी क्रम–01 दोहिता है की ओर से अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा दिए गए नोटिस प्रदर्श–एन.ए.3/1 के बावजूद वाहन चालक अप्रार्थी क्रम–01 का ड्राइविंग लाइसेंस उसके द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर अप्रार्थी क्रम–01 का ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं हुआ है जो स्पष्ट दर्शाता है कि दुर्घटना के समय वाहन स्वामी के द्वारा यह जानते हुए कि अप्रार्थी क्रम–01 के पास वक्त दुर्घटना वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस मोटर साइकिल चलाने का नहीं है फिर भी मोटर साइकिल का संचालन कराया जिससे कि बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन हुआ है।

19. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा लिया गया यह तर्क कि " Pay & Recover" का सिद्धांत वर्तमान परिस्थितियों में प्रावधान से हटा दिया गया है तो इसी संदर्भ में ही विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा जो उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत **नेशनल इ.कं.लिमि. बनाम स्वर्ण सिंह व अन्य (2004) 3 एस.सी.सी. 297** प्रस्तुत किया गया है यह न्यायिक दृष्टांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा पारित किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विवेचना की गई है कि मोटर यान अधिनियम एक लोक कल्याणकारी कानून है जिससे पीडित को त्वरित न्याय मिल पाए और संबंधित बीमा कंपनी जिसने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का बीमा किया है वह **बीमा कंपनी प्रथमतः क्लेमेंट को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिए जिम्मेदार है**

तदुपरांत वह उक्त राशि की वसूली वाहन चालक और मालिक से कर सकती है। इस संबंध में उक्त न्यायिक दृष्टांत में बीमा कंपनी को यहां तक छूट दी गई है कि बीमा कंपनी को उक्त अदा की गई राशि की Recovery करने के लिए अलग से वाद लाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक विनिश्चय **नेशनल इ.कं.लिमि. बनाम स्वर्ण सिंह व अन्य (2004) 3 एस.सी.सी. 297** को वृहद पीठ द्वारा अपास्त कर दिया गया हो ऐसा भी कोई न्यायिक दृष्टांत भी अप्रार्थी क्रम–03 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–03 द्वारा ऐसे भी किसी मोटर यान अधिनियम के प्रावधान की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है कि मोटर यान अधिनियम में संशोधन के उपरांत विशेष उपबंध करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस न्यायिक विनिश्चय में " **Pay & Recover"** के सिद्धांत को निरस्त करने के उद्देश्य से इस हेतु कोई नया प्रावधान जोडा गया हो। इसी संबंध में सम्मानीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **2025(2) DNJ(SC) 533 Chatha Service Station Vs Lalmati Devi** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक विनिश्चय **नेशनल इ.कं.लिमि. बनाम स्वर्ण सिंह व अन्य (2004) 3 एस.सी.सी. 297** को उद्वरत करते हुए " **Pay & Recover"** के सिद्धांत को यथावत रखा है।

20. इस प्रकार उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत जो प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उससे मार्गदर्शन प्राप्त करने पर मुख्य रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा " पे एण्ड रिकवर" के सिद्धांत को समाप्त नहीं किया गया है। अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के द्वारा जो उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है उसमें इस संबंध में मात्र स्थगन दिया गया है न कि अंतिम रूप से निस्तारण किया गया है। इसलिए अप्रार्थी बीमा कंपनी को उनके द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत से कोई सहायता नहीं मिलती है।

21. जहां तक बीमाधारी व बीमा कंपनी के मध्य बीमा पॉलिसी की शर्तो का विवाद है तो इस संदर्भ में यह अधिकरण लिखना चाहेगा कि विधि यह है कि आहत बीमा पॉलिसी की संविदा के विवाद से स्वतंत्र तृतीय पक्ष है और प्रार्थी को होने वाली क्षति के लिए बीमा कंपनी का बीमाधारी से विवाद प्रार्थी के लिए महत्वहीन है और ऐसे में यह अधिकरण यह निर्धारित करता है कि चूंकि कथित दुर्घटना कारित करने वाली मोटर साइकिल वक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी के पास बीमित होना स्वीकृत तथ्य है और चूंकि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा वाहन को बिना वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के चलाना सामने आया है और अप्रार्थी क्रम–02 ने यह जानते हुए कि उसके पास वक्त दुर्घटना चालक के पास वाहन को चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी वाहन का चालन करवाया तो यह बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन है। अतः उक्त विवेचन के

"Authenticated Document"

प्रकाश में सर्वप्रथम अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी द्वारा क्लेमेंट/ प्रार्थीया जो कि तृतीय पक्षकार है, को क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी की जाएगी तदुपरांत अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी उक्त अदा की गई राशि की प्रतिपूर्ति अप्रार्थी क्रम–1 व 2 से कर सकेगी जिसके लिए उसे अलग से वाद लाने की आवश्कता नहीं है **और यह अधिकरण अप्रार्थी संख्या–03 बीमा कंपनी को अप्रार्थी क्रम 1 व 2 से रिकवरी का अधिकार प्रदान करता है।** अन्य आपत्तियों बाबत विवाद्यक संख्या–1 में विस्तृत विवेचन किये जाने से यहां पर अब उनके अलग से विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय उक्त प्रकार से किया जाता है।

अनुतोष

22. अब यह निर्धारित किया जाना है कि प्रार्थीया कितनी क्षतिपूर्ति राशि पाने की अधिकारी है। इस संबंध में ए.ड.–1 प्रार्थीया श्रीमती मायरा ने अपने बयान में शपथ पर कथन किया है कि इस दुर्घटना में उसके दांए पैर की जांघ ,दांए घुटने, दांए हाथ,सिर पर चोटें आई और दांए पैर की टीबिया व फेबूला बोन, दांए पैर के पंजे में फ्रेक्चर होने से वह दिनांक 4.9.2023 से 11.9.2023 तक जे.एल.एन.अस्पताल,अजमेर में भर्ती रहकर उपचाररत रही थी जहां उसके दांए पैर का आपरेशन करके रॉड डाली गई थी। उसका साल भर इलाज चला था जिस पर एक लाख रूपये व्यय हुए थे। दुर्घटना से पूर्व वह संत फ्रांसिस अस्पताल,अजमेर में कुक के कार्य से 15,000/–रूपये मासिक कमाती थी परन्तु उसके शरीर पर आई गम्भीर चोटों से उसके स्थाई अपंगता कारित होनेसे वह पूर्व की भांति कुक का कार्य व अन्य कार्य नहीं कर सकती है, बिना सहारे के चल–फिर नहीं सकती उसे आजीवन सहारे से चलना पडेगा। वह मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो गई है। उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है। वह आठ दिन भर्ती रही थी जहां उसकी देखभाल हेतु अटेण्डेंट रहता था जहां पर भर्ती रहने के दौरान 2000/–रूपये प्रतिदिन अटेण्डेंट पर खर्च हुए थे तत्पश्चात घर पर भी अटेण्डेंट की सेवाओं पर निर्भर रही थी। उसे घर पर नौकरानी रखनी पड रही है जिस पर उसे 4000/–रूपये मासिक अतिरिक्त व्यय करने पडेगें। उसकी स्थाई अपंगता से कुक की आय समाप्त हो गई है और उसे दैनिक क्रियाओं हेतु अटेण्डेंट की सेवाओं पर निर्भर रहना पड रहा है। उसे ताउम्र विकलांगता के रूस्प में गुजारनी पड़ेगी। उसे अत्यधिक आर्थिक संकट से गुजरना पड रहा है। दुर्घटना के समय वह 43 वर्ष की थी। जिरह में साक्षीया कहती है कि वर्तमान में उसका इलाज नहीं चल रहा है।

23. इस संबंध में अधिकरण ने प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया है। अधिकरण का विवेचन निम्न प्रकार हैः–

"Authenticated Document"

धन से नुकसानी (For Pecuniary Damages)

24. प्रार्थीया ने उसके इलाज पर एक लाख रूपये व्यय होना बताया है। इस संबंध में उसने इलाज की पर्चियां प्रदर्श–17 लगायत 21 तक पेश की है। परन्तु उसने इलाज पर खर्चे के संबंध में में कोई रसीद, बिल आदि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए है। प्रार्थीया का जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर में मेडिकल मुआयना हुआ है जो कि सरकारी अस्पताल है एवं **दवाईयों के बिल के अभाव** में यह प्रमाणित होता है कि उसका इलाज सरकारी अस्पताल में निःशुल्क हुआ है इसीलिए उसके द्वारा इलाज खर्च के बिल आदि पेश नहीं किए गए है। प्रार्थीया ने मात्र प्रदर्श–15 स्थाई निर्योग्यता की रसीद 300/–रूपये की प्रस्तुत की है जो राशि प्रार्थीया को दिलाया जाना न्यायोचित है।

25. प्रार्थीया डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श–16 के अनुसार दिनांक 04.09.2023 से 11.09.2023 तक जे.एल.एन.अस्पताल, अजमेर में भर्ती रही थी। उसके दांए पैर की टीबिया व फेबूला बोन में फ्रेक्चर होने से आपरेशन भी हुआ जिसमें नेल लगाई गई थी। अतः चोट की गम्भीरता को देखते हुए उसका उपरोक्त अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उसका परिचर्या के लिए दूसरे लोगों पर आश्रित रहना स्वाभाविक है। अतः उसके भर्ती रहने के दौरान परिचर्या व्यय व अन्य आनुषांगिक व्यय के लिए प्रतिदिन के 600/–रूपये के आधार पर 08 दिन का प्रतिकर 4,800/–रूपये दिलाया जाना उचित है।

26. इस दुर्घटना में प्रार्थीया के शरीर पर आई उपरोक्त गम्भीर चोटों को देखते हुए उसके द्वारा विशेष खाना खुराक लिया जाना भी लिया जाना स्वाभाविक है। अतः इस मद में प्रार्थीया को 10,000/–रूपये की राशि एकमुश्त दिलाई जाना न्यायोचित है।

27. प्रार्थीया ने इलाज के दौरान परिवहन पेटे एम्बुलेंस व टैक्सी इत्यादि के बिल एवं रसीदें पेश नहीं की है। परन्तु इस दुर्घटना में प्रार्थीया के दांए पैर की टीबिया व फेबूला बोन में फ्रेक्चर होने से आपरेशन करके नेल लगाई गई थी। ऐसे में प्रार्थीया की उपरोक्त गम्भीर चोटों को देखते हुए उसका इलाज के दौरान परिवहन पर राशि खर्च होना स्वाभाविक है। अतः इस मद में प्रार्थीया को 5,000/– रूपये की राशि दिलाया जाना उचित है।

प्रार्थीया की आय का बिन्दु

28. जहां तक प्रार्थीया को इलाज की अवधि के दौरान हुई आय की क्षति का प्रश्न है, प्रार्थीया ने याचिका में घटना के समय उसका संत फ्रांसिस अस्पताल, अजमेर में कुक के कार्य से 15,000/–रूपये मासिक कमाना बताया है। इसी प्रकार के कथनों को ए.ड–01 प्रार्थीया श्रीमती मायरा ने अपने सशपथ बयानों में दोहराया है। लेकिन प्रार्थीया ने उसकी आय व कार्य बाबत किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है जिस तथ्य को उसने अपनी प्रतिपरीक्षा

के दौरान भी स्वीकार किया है कि उसने आय व कार्य बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसे में अधिकरण के समक्ष इस बाबत किंचित मात्र भी साक्ष्य नहीं है कि प्रार्थीया उक्त कार्य से उपरोक्त मासिक आय अर्जित करती थी। परन्तु अभिलेख पर प्रस्तुत आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श–23 में अंकित जन्मतिथि 03.12.1980 के अनुसार वह दुर्घटना के समय 42 वर्ष 09 माह 01 दिन की स्वस्थ कदकाठी की महिला रही है। ऐसे में अधिकरण प्रार्थीया की राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित Minimum Wages Act के तहत आय की करना न्यायोचित समझता है । इस संबंध में **माननीय राज. उच्च न्यायालय की एस. बी. सी. एम. ए. नंबर–5009/2025 श्रीमती महाराजी बनाम शिवलाल व अन्य निर्णीत दिनांक 22.04.2026 में उद्धरत न्यायिक दृष्टांतों एस.बी.सी.एम.ए.नंबर–6562/2011 जालौर सिंह बनाम बरकत व अन्य निर्णीत दिनांक 26.03.2012 और एस.बी.सी.एम.ए.नंबर–769/2017 नन्दू देवी व अन्य बनाम सोहनलाल व अन्य निर्णीत दिनांक 23.02.2022** से मार्गदर्शन लेने पर मेरे विनम्र मत में प्रार्थीया की मासिक आय की गणना **30 दिन** के हिसाब से करते हुए दुर्घटना के समय अकुशल श्रमिक की वर्ष 2023 में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दरों के आधार पर प्रार्थीया की आय 8550/–रूपये मासिक निर्धारित किया जाना न्यायोचित समझता हूं। इस दुर्घटना में प्रार्थीया के उपरोक्त गम्भीर चोटें कारित होने से उसका 05 माह तक पूर्व की भांति अपने कार्य को नहीं कर पाना स्वाभाविक है। अतः इस मद में प्रार्थीया को 42,750/– रूपये दिलाया जाना न्यायोचित है।

भविष्यगामी आय की हानिः

29. प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस दुर्घटना में प्रार्थीया के दांए पैर की टीबिया व फेबूला बोन के फ्रेक्चर होने से उसके 31 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता कारित हुई है एवं उक्त स्थाई निर्योग्यता के कारण प्रार्थीया पूर्व की भांति कार्य करने में शत प्रतिशत अक्षम हो गयी है। प्रार्थीया आजीवन आजीविका अर्जन में अक्षम हो गयी है और सभी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो गयी है। अतः प्रार्थीया के कारित स्थाई निर्योग्यता, उसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए भावी आय की क्षति की गणना की जानी चाहिए।

30. इसके विपरीत अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र प्रदर्श–14 में यह कहीं स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थीया के कारित उपरोक्त चोटों के कारण उसके 31 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता से भविष्य में कोई आय अर्जित नहीं कर सकती है या वह संपूर्ण शरीर से शत प्रतिशत स्थाई अपंग हो गयी हो। स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टर्स द्वारा प्रार्थी का इलाज नहीं किया है। प्रार्थीया ने आय के तथ्य को भी साबित नहीं किया है। प्रार्थीया के उपरोक्त फ्रेक्चर होने से कुक के कार्य पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पडेगा। ऐसे में प्रार्थीया को किसी भी प्रकार की भावी आय की क्षति नहीं हुई है।

"Authenticated Document"

31. उभयपक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया ने स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–14 पेश किया है जिसके अनुसार उसके इस दुर्घटना में दांए पैर की टीबिया व फेबूला बोन के फ्रेक्चर होने के कारण उसे 31 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता कारित हुई है। वर्तमान मामले में चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी, पाली के प्राधिकृत बोर्ड के समक्ष प्रार्थीया की उपस्थिति पर उसकी निर्योग्यता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदर्श–14 जारी किया गया है। अप्रार्थीगण की ओर से उक्त स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र का कोई खण्डन नहीं है। इस प्रकार इस प्रमाण पत्र की असंदिग्धता को आक्षेपित नहीं किया गया है। इस दशा में उक्त प्रमाण पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रहता है। प्रार्थीया के इस दुर्घटना में दांए पैर की टीबिया व फेबूला बोन के फ्रेक्चर जैसी स्थितियों को दृष्टिगत रखना भी मानवीय दृष्टिकोण से उचित होगा। इस दशा में उक्त प्रमाण पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रहता है। अतः अप्रार्थी पक्ष का यह तर्क कि इलाज करने वाले डॉक्टरों द्वारा उक्त प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है माने जाने योग्य नहीं है। जहां तक प्रार्थीया को प्रत्याशित (भविष्यगामी) आय की हानि तक प्रश्न है, अधिकरण के मत में हालांकि उक्त निर्योग्यता पूरे शरीर की नहीं होकर अंग विशेष की है। यह सही है कि प्रार्थीया को अब सभी प्रकार के घरेलू कार्य आदि संबंधी कार्य करने में निश्चित रूप से असुविधा होगी एवं प्रार्थीया के जो स्थाई अपंगता कारित हुई है उसमें निश्चित ही सभी प्रकार के दृष्टिकोणों से उसकी कार्यक्षमता में और अर्थोपार्जन कमी आना स्वाभाविक है। लेकिन वह बिल्कुल भी काम नहीं कर सकेगी यह साबित नहीं है, क्योंकि उसके अन्य सभी अंग सही है एवं वह स्वयं चलकर अधिकरण में बयान देने आयी है । इस संबंध में प्रार्थीया ने डॉक्टर को भी परीक्षित नहीं कराया है कि वह शत प्रतिशत कार्य करने में अक्षम हो गयी हो। प्रार्थीया ने दुर्घटना के समय आय व व्यवसाय के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे भावी आय की क्षति का आंकलन किया जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या–3900/2023 सरनाम सिंह बनाम श्रीराम जनरल इ.क.लिमि. व अन्य निर्णीत दिनांक 04.07.2023 में यह प्रतिपादित किया है कि **any physical disability resulting from an accident has to be judged with reference to the nature to the work being performed by the person who suffered disability.** ऐसे में उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलंबन लेते हुए प्रार्थीया को कारित स्थाई निर्योग्यता की प्रकृति, प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों व प्रार्थीया के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए यह अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीया की आय अर्जित करने की क्षमता में उपरोक्त स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र के अनुसार 31 प्रतिशत कमी होना उचित प्रकट होती है। चूंकि प्रार्थीया की उपरोक्तानुसार 8550/–रूपये मासिक निर्धारित की गई है और प्रार्थीया दुर्घटना के समय करीब पौने तैयालीस वर्षीया महिला रही है। ऐसे में **न्यायिक दृष्टांत 2019 (2) आर.ए.आर. 194 (एस.सी.) परमिन्दर सिंह बनाम न्यू इण्डिया इ.कं.लिमि.** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भावी

"Authenticated Document"

प्रत्याशा भी दिलाई जाना उचित मानी है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत की पालना में भावी प्रत्याशा भी दिलाई जाना उचित प्रतीत होती है व इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी** से मार्गदर्शन लेने पर प्रार्थीया की उम्र पौने तैयालीस वर्ष होने पर 25 प्रतिशत की भावी वृद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थीया की उपरोक्त आमदनी में 25 प्रतिशत की भावी वृद्धि मानते हुए प्रार्थीया की आमदनी 10,688/–रूपये मासिक निर्धारित की जाना उचित है एवं प्रार्थीया की उपरोक्त उम्र को देखते हुए 14 का गुणांक लगाया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त स्थाई निर्योग्यता की प्रतिशतता को मद्देनजर रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.ए.आर. 147 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम प्रणय सेठी व अन्य में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार भविष्य की आय की क्षति के रूप में प्रार्थीया को 10,688/–रूपये मासिक की 31 प्रतिशत राशि अर्थात 3,313 X 12 X 14 = 5,56,584/–रूपये की निकटतम राशि 5,56,580/–रूपये का प्रतिकर राशि दिलाया जाना उचित है।

<u>धन से भिन्न नुकसानी</u> <u>(For Non Pecuniary Damages)</u>

32. जहां तक कष्ट व वेदना हेतु प्रतिकर राशि का संबंध है, इस दुर्घटना में प्रार्थीया के दांए पैर की टीबिया व फेबूला बोन के फ्रेक्चर होने से उसके उपरोक्त स्थाई निर्योग्यता कारित हुई है जिससे उसे पीडा अवश्य हुई होगी। उसे चलने–फिरने, उठने–बैठने, हाथ संबंधी सभी प्रकार के कार्यो में भी तकलीफ रहेगी और विकलांग के तौर पर संपूर्ण जीवन व्यतीत करना होगा। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियेां को देखते हुए कारित गम्भीर चोटों के कारण हुई स्थाई निर्योग्यता से उसे होने वाली दर्द–पीड़ा एवं मानसिक संताप, जीवन की प्रत्याशा में हुई कमी को मददेनजर रखते हुए पीडित को कुल–75,000/–रूपये दिलाये जाने न्यायोचित है।

33. परिणामतः प्रार्थी को निम्न मदों में प्रतिकर राशि दिलाई जाती हैः–

मद	राशि
इलाज में लगा वास्तविक व्यय	300/–
अस्पताल में परिचर्या का खर्चा	4,800/–
गम्भीर चोटों के संदर्भ में विशेष खाना खुराक	10,000/
परिवहन इत्यादि पर व्यय	5,000/–
इलाज के दौरान आय की क्षति	42,750/–
भावी आय की क्षति	5,56,580/–
दर्द पीडा एवं मानसिक संताप	75,000/–
कुल योग	**6,94,430/–रूपये**

"Authenticated Document"

34. अतः संपूर्ण विवेचन से प्रार्थीया के चोटग्रस्त होकर स्थाई अपंग होने से उसे उपरोक्तानुसार कुल–6,94,430/–रूपये प्रतिकर के रूप में दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीया को अवार्ड राशि पर क्लेम याचिका दायर करने की तिथि से वसूली तक 6.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत है। अधिकरण ने इस निर्णय के विवाद्यक संख्या–1 में अप्रार्थी क्रम–1 की गलती व लापरवाही से दुर्घटना होना साबित माना है एवं विवाद्यक संख्या–2 में अप्रार्थी क्रम–2 को कथित मोटर साइकिल का रजिस्टर्ड स्वामी मानते हुए अप्रार्थीगण 1 व 2 के मध्य मालिक व सेवक का संबंध स्थापित नहीं माना गया है एवं यह भी स्वीकृत स्थिति है कि कथित वाहन वक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी के पास बीमित था। **लेकिन उपरोक्तानुसार यह भी विनिश्चित किया गया है कि कथित वाहन बरवक्त दुर्घटना बिना वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया जा रहा था । इसलिए बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन होने से संपूर्ण प्रतिकर राशि की अदायगी प्रथमतः अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा प्रार्थीया को की जाएगी तदुपरांत वह उक्त अदा की गई राशि वाहन मालिक अप्रार्थी क्रम–1 व 2 से Recovery करने का अधिकार रखेगी जिसके लिए उसे अलग से वाद लाने की आवश्यकता नहीं है।**

आदेश

35. परिणामतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दुर्घटना दावा याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्न प्रकार निर्णीत की जाती हैः–

(अ) प्रार्थीया, अप्रार्थीगण से संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक रूप से कुल–6,94,430/–रूपये (अक्षरे रूपया छः लाख चौरानवे हजार चार सौ तीस मात्र) की राशि प्रतिकर के रूप में पाने की अधिकारी है। वह उक्त राशि पर प्रार्थना पत्र पेश करने की तिथि 12.01.2024 से वसूली तक 6.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने की अधिकारी है।

(ब) उक्त राशि मय ब्याज जमा होने पर प्रार्थीया को राशि का वितरण निम्न प्रकार किया

क्र.सं.	**नाम प्रार्थी**	**बचत खाते में राशि**	**एफ.डी.आर.**	**एफ.डी.आर. की अवधि**
01.	श्रीमती मायरा	2,94,430/– रूपये मय ब्याज संपूर्ण प्रतिकर राशि पर देय सहित	3,00,000/– 1,00,000/–	555 दिन सर्वाधिक प्रचलित ब्याज दर 03 वर्ष के लिए

''Authenticated Document"

(स) अप्रार्थी बीमा कंपनी, प्रार्थीया को देय क्षतिपूर्ति राशि एवं ब्याज की राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (C) 534/2020 बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 16.03.2021 को पारित आदेश में दी गई प्रक्रिया के अनुसार इस अधिकरण के **इण्डियन बैंक, कचहरी रोड, अजमेर में संचालित चालू खाता संख्या–8112367410 जिसका IFSC CODE-IDIB000A547** है, में NEFT या RTGS के माध्यम से जमा करायें एवं इस अधिकरण को 15 दिवस की अवधि में इसकी सूचना प्रस्तुत करें। शेष क्षतिपूर्ति राशि बाबत प्रार्थीया की याचिका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

(द) **अप्रार्थी बीमा कंपनी को Recovery rights प्रदान किए गए है। अप्रार्थी बीमा कंपनी उक्त अदा की गई राशि की प्रतिपूर्ति अप्रार्थी वाहन मालिक अप्रार्थी क्रम–1 व 2 से कर सकेगी जिसके लिए उसे अलग से वाद लाने की आवश्यकता नहीं है।**

(य) निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को आदेश की पालना हेतु दी जायें।

(जगेन्द्र कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण,
अजमेर

निर्णय आज दिनांक 17.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(जगेन्द्र कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण,
अजमेर

VINOD KUMAR
Steno Gr II
"Authenticate Document"
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.08.18 11:06:12 +0530

"Authenticated Document"